रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97 REGD. NO. D. L.-33004/97

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
*PART II—Section 3—Sub-section (ii)*

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 361 ] नई दिल्ली, बुधवार, जून 25, 1997/आषाढ़ 4, 1919
No. 361 ] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 25, 1997/ASADHA 4, 1919

## मानव संसाधन विकास मंत्रालय

( महिला एवं बाल विकास विभाग )

### संशोधन-पत्र

नई दिल्ली, 23 जून, 1997

**का.आ. 456 ( अ ).**—(स्था.) भारत के अतिविशिष्ट राजपत्र के भाग-II खण्ड-3, उप-खण्ड-(ii) में दिनांक 19-5-97 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रकाशित अधिसूचना सं. अ. 387 (स्था.) के अधिक्रमण में तथा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा-3 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा डॉ. सयीदा सयीदायिन हमीद, नई दिल्ली, को 2 जून, 1997 से राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या के रूप में नामित करती है । वे पूर्व निर्धारित दिनांक से तीन वर्ष की अवधि या आगामी आदेशों तक राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या के रूप में कार्य करेगी।

[फा. सं. 9-35/90-म.क. (खण्ड-II)]

बी. सेन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

**(Department of Women & Child Development)**

### CORRIGENDUM

New Delhi, the 23rd June, 1997

**S.O. 456 (E).**—In supersession of Notification of the Ministry of Human Resource Development, Department of Women & Child Development published in the Gazette of Extraordinary Part-II, Section 3 of the National Commission for Women Act, 1990, the Central Government hereby nominates Dr. Syeda Saiyidain Hameed, New Delhi, as a Member of the National Commission for Women with effect from 2-6-1997. She will hold office of Member, National Commission for Women until further orders but not exceeding three years from the date of assumption of charge of Office.

[No. 9—35/90-WW]

B. SEN, Jt. Secy.

1577GI/97 Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997